न्यायालय अवर न्यायाधीश ज्येष्ठ कुट गोरखपुर
1697/14

देवांती देवी वगैरह
बनाम
नागजुनी देवी वगै०

20A/4 20A/2

08/04/17 उभयपक्ष को पैरवी हेतु। अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना।

18A/2

प्रतिवादी का कथन है कि इस वाद के वादी द्वारा कोई रुचि इस वाद में नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि वाद कई तिथियों से उपस्थिति पर चला आ रहा है। पुकार पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ।

वाद अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद विगत कई तिथियों से उपस्थिति पर चल रहा है। वादी को इस वाद में अब रुचि नहीं है।

अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।